

Check list of Document (आवेदक के लिए)

इकाई के नामान्तरण के मामलों में

1. इकाई का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र। यदि जी0एस0टी0 नहीं है तो आवेदक/साझेदारों के शपथ पत्र
2. इकाई का लाइसेंस
3. सी0ई0सी0 के अनुसार इकाई की श्रेणी (I/II/III/IV)
4. (A)–लाइसेंस का विवरण अर्थात् वर्तमान लाइसेंसधारक का नाम, पिता का नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नम्बर, ई–मेल, फोटो आई0डी0 तथा आई0डी0 संख्या, फर्म का नाम, हार्स पावर
(B)–प्रस्तावित स्वामी का नाम, पिता का नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नम्बर, ई–मेल, फोटो आई0डी0 तथा आई0डी0 संख्या, फर्म का नाम, हार्स पावर
5. लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का विवरण अर्थात् वर्ष, नवीनीकरण शुल्क की धनराशि जो जमा की गयी। ई–3 रसीद संख्या व दिनांक, अन्य प्रतिकर इत्यादि जो जमा किया गया, वन प्रभाग का नाम जहां पर शुल्क जमा किया गया।
6. आवेदक/समस्त साझेदारों के डिजिटल फोटो
7. आवेदक/समस्त साझेदारों के फोटो आई0डी0 संख्या सहित
8. विनियर/प्लाईवुड के मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा यह अनापत्तियों प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये आवेदन की प्राप्ति रसीद एवं आवेदक का शपथ पत्र जिसमें यह स्पष्ट अंकित हो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र इकाई संचालन के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
9. वर्तमान एवं प्रस्तावित आवेदक/समस्त साझेदारों के अथवा परिवार के सदस्यों के विरुद्ध वन अपराध का केस लम्बित होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में वर्तमान एवं प्रस्तावित आवेदक/समस्त साझेदारों के शपथ पत्र
10. फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन का अभिलेख
11. (A)–यदि इकाई का विक्रय हुआ है तो विक्रय अभिलेख एवं
(B)–विक्रेता का शपथ पत्र जिसमें क्रेता का नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो एवं
(C)–क्रेता का शपथ पत्र जिसमें विक्रेता का नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो।
12. यदि वर्तमान स्वामी की मृत्यु के कारण नामान्तरण किया जाना है—
(A)– मृत्यु प्रमाण पत्र
(B)– वारिसान प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
(C)– वारिसान प्रमाण पत्र में अंकित पत्नी/पति/समस्त पुत्रों/समस्त पुत्रियों के शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि लाइसेंस का नामान्तरण किये जाने में उनकी सहमति है एवं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।